आय. सी. एम. आर. - राष्ट्रीय प्रजनन एवं बाल स्वास्थ अनुसंधान संस्थान

ICMR-NATIONAL INSTITUTE FOR RESEARCH IN REPRODUCTIVE AND CHILD HEALTH

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद

Indian Council of Medical Research

जे. एम. पथ, परेल, मुंबई - 400012

J.M. Street, Parel, Mumbai-400012

एफ. सं.: सी-11015/111/2023-प्रशासन 29.04.2025

परामर्शदाता (राजभाषा) संविदात्मक पद के लिए रिक्ति अधिसूचना

आईसीएमआर-एनआईआरआरसीएच, मुंबई में परामर्शदाता (राजभाषा) का एक पद को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं, जो कि शुरू में एक वर्ष की अवधि के लिए पूरी तरह से अनुबंध के आधार पर होगा। साक्षात्कार के लिए कार्यक्रम और अन्य नियम और शर्तें भी आगे बताई गई हैं।

आनिवार्य अर्हता:

केन्द्रीय/ केन्द्रीय स्वायत्त निकायों/ सीपीएसयू/ सीपीएसबी से सेवानिवृत्त कार्मिक, जिनके पास केन्द्रीय/केन्द्रीय स्वायत्त निकायों में 7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन स्तर 7 या समकक्ष या इससे अधिक वेतन पर राजभाषा (हिंदी) से संबंधित कार्य में 10 वर्ष से अधिक का अनुभव हो और साथ ही नीचे दी गई शैक्षणिक योग्यताओं में से कोई एक हो।

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी में मास्टर डिग्री, जिसमें डिग्री स्तर पर अंग्रेजी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय या परीक्षा का माध्यम हो।

अथवा

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में मास्टर डिग्री, जिसमें डिग्री स्तर पर हिंदी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय या परीक्षा का माध्यम रहा हो।

वांछनीय योग्यताएँ:

आवेदक को भारत सरकार की राजभाषा नीति के प्रावधानों का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए तथा नियमों और विनियमों, दिशा-निर्देशों, प्रणालियों और प्रक्रियाओं तथा उनके कार्यान्वयन की समझ होनी चाहिए। आवेदक को अनुवाद, टाइपिंग आदि का अच्छा ज्ञान होना चाहिए तथा उसे कंप्यूटर, इंटरनेट, ईमेल आदि के उपयोग की भी जानकारी होनी चाहिए।

काम का स्वरूप/नौकरी की ज़िम्मेदारियाँ:

1. भारत संघ की राजभाषा नीति का अनुपालन सुनिश्चित करना।
2. संस्थान की हिन्दी तिमाही रिपोर्ट तैयार करना।

3. संस्थान की वार्षिक रिपोर्ट का हिंदी में अनुवाद।
4. संसदीय राजभाषा समिति की निरीक्षण प्रश्नावली पर रिपोर्ट तैयार करना।
5. विभिन्न प्रपत्रों, परिपत्रों, मैनुअलों, लेखों आदि का हिंदी में अनुवाद तथा हिंदी से इंग्लिश में अनुवाद।
6. सरकारी पत्र/कार्यालय आदेश/टिप्पणियाँ आदि हिन्दी में, कम्प्यूटर पर तैयार करना।
7. हिंदी कार्यान्वयन से संबंधित विभिन्न गतिविधियों के लिए संस्थान की हिंदी समिति को सहायता प्रदान करना।
8. राजभाषा नीति के कार्य के कार्यान्वयन तथा विभिन्न कार्यालयीन मामलों में प्रभारी राजभाषा अधिकारी को सहायता प्रदान करना।
9. हिंदी प्रशिक्षण कार्यक्रमों की व्यवस्था करना। साथ ही संस्थान को नराकास के कार्यान्वयन और सिफारिशों से अवगत कराना और उन्हें सुगम बनाना।
10. सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर सौंपा गया कोई अन्य कार्य।

आयु:आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को आयु 69 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

कार्य की अवधि:

1. परामर्शदाता के रूप में प्रारंभिक नियुक्ति 1 वर्ष की अवधि के लिए होगी जिसे संस्थान की आवश्यकता और परामर्शदाता की प्रदर्शन समीक्षा के आधार पर उक्त अवधि से आगे बढ़ाया जा सकता है, लेकिन सेवानिवृत्ति के बाद 5 वर्षों से अधिक नहीं बढ़ाया जाएगा।
2. परामर्शदाताओं की नियुक्ति पूर्णकालिक आधार पर होगी तथा संस्थान के साथ नियुक्ति की अवधि के दौरान उन्हें कोई अन्य कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति नहीं होगी।

परामर्शदाताओं को देय पारिश्रमिक:

संतोषजनक प्रदर्शन और उपस्थिति पर संस्थान के प्रमुख से एक स्पष्ट प्रमाण पत्र के आधार पर, मासिक पारिश्रमिक परामर्शदाता को जारी किया जाएगा। पारिश्रमिक इस प्रकार होगा:

- **केन्द्र सरकार/केन्द्रीय स्वायत्त निकायों के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए:**
  1. परामर्शदाता को वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के दिनांक 09.12.2020 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 3-25/2020-ई.IIIA के अनुसार सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त वेतन से पेंशन की कटौती करके प्राप्त एक निश्चित समेकित मासिक पारिश्रमिक का भुगतान किया जाएगा। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के तहत सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के मामले में, उनका पारिश्रमिक व्यय विभाग के दिनांक 18.10.2023 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 3-25/2020-ई.III(ए)/Pt. के अनुसार शासित होगा। कृपया ध्यान दें कि अनुबंध की अवधि के दौरान कोई वेतन वृद्धि और महंगाई भत्ता नहीं दिया जाएगा।
  2. निवास और कार्यस्थल के बीच आवागमन के लिए परिवहन भत्ते के रूप में एक निश्चित राशि का भुगतान किया जाएगा, जो सेवानिवृत्ति के समय नियुक्त व्यक्ति के लिए लागू दर से अधिक नहीं होगी। इस प्रकार

निर्धारित की गई राशि नियुक्ति की अवधि के दौरान अपरिवर्तित रहेगी। परिवहन भत्ते की पात्रता व्यय विभाग के दिनांक 07.07.2017 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 21/5/2017-E.II(B) के अनुसार होगी। हालाँकि, परिवहन भत्ते पर कोई महंगाई भत्ता स्वीकार्य नहीं होगा।

- **सीपीएसयू/सीपीएसबी से सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए:**

परामर्शदाता को अनुभव और ज्ञान के आधार पर अधिकतम रु. 1,00,000/- भुगतान किया जाएगा.

टिप्पणी:

1. कार्यभार ग्रहण करने या कार्यभार पूरा होने पर कोई यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता देय नहीं होगा। चूंकि यह पद पूर्णतः अस्थायी/अनुबंध आधार पर है, इसलिए आवास, सीजीएचएस, भविष्य निधि, अवकाश यात्रा रियायत, टेलीफोन प्रतिपूर्ति, चिकित्सा आदि का लाभ नियुक्त व्यक्ति को उपलब्ध नहीं होगा।
2. सरकारी नियमों और विनियमों के अनुसार सभी लागू करों की कटौती स्रोत पर ही की जाएगी।

उपस्थिति और कार्य घंटे/दिन:

सलाहकारों के लिए कार्य समय आईसीएमआर-एनआईआरआरसीएच के नियमित कर्मचारियों के समान ही होगा। कार्यालय समय से अधिक काम करने के लिए कोई अतिरिक्त लाभ नहीं दिया जाएगा। बिना वैध कारणों के लगातार 08 दिनों की अनधिकृत अनुपस्थिति से अनुबंध की स्वतः समाप्ति हो जाएगी।

3.

छुट्टी:

सेवा के प्रत्येक पूरे महीने के लिए 1.5 दिन की दर से सवेतन अवकाश की अनुमति दी जाएगी। नियुक्ति अवधि के दौरान लिया न गया अवकाश अनुबंध नवीकरण की स्थिति में आगे नहीं बढ़ाया जाएगा।

कार्य के घंटे:

परामर्शदाताओं को आईसीएमआर-एनआईआरआरसीएच, मुंबई के कार्य समय के अनुसार काम करना होगा। हालांकि, काम की अनिवार्यता के आधार पर, किसी को समयबद्ध काम पूरा करने के लिए जल्दी आना या देर से बैठना पड़ सकता है या छुट्टियों के दिन भी कार्यालय में उपस्थित होना पड़ सकता है। अगर काम के लिए देर से बैठना पड़ता है या छुट्टी के दिन आना पड़ता है तो कोई अतिरिक्त पारिश्रमिक या शुल्क देय नहीं होगा।

भर्ती की प्रक्रिया:

1. आयु मानदंड को पूरा करने वाले और आवश्यक योग्यता, अनुभव आदि रखने वाले उम्मीदवार अपराह्न 05.00, 20 मई 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

2. ऑनलाइन आवेदन करने के लिए लिंक:-https://project.nirrch.res.in/
3. परामर्शदाता (राजभाषा) के लिए, चयन अपेक्षित अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों के व्यक्तिगत साक्षात्कार के आधार पर किया जाएगा। **साक्षात्कार का स्थान और कार्यक्रम केवल शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को ईमेल के माध्यम से सूचित किया जाएगा।**
4. शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को साक्षात्कार के समय अपनी आयु, शैक्षिक योग्यता, अनुभव प्रमाण पत्र, प्रशंसापत्र, पीपीओ आदि के प्रमाण की विधिवत स्व-सत्यापित प्रतियाँ प्रस्तुत करनी होंगी। इसके अलावा मूल प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किए जा सकते हैं।
5. चयनित उम्मीदवारों को कार्यभार ग्रहण करते समय उपरोक्त सभी दस्तावेज मूल रूप में साथ लाने होंगे।
6. चयन केवल साक्षात्कार में प्रदर्शन के आधार पर होगा।

आवेदन के लिए अन्य नियम व शर्तें नीचे दी गई हैं:

1. अपूर्ण आवेदनों को सरसरी तौर पर अस्वीकार कर दिया जाएगा।
2. गलत या झूठी जानकारी प्रस्तुत करने पर किसी भी स्तर पर उम्मीदवारी अयोग्य घोषित कर दी जाएगी।
3. परामर्शदाता नैतिक व्यवहार और व्यावसायिकता के मानदंडों के मद्देनजर इस संस्थान में अपनी नियुक्ति के दौरान उसके द्वारा दी गई किसी भी सलाह/सेवा के लिए पूरी तरह से जवाबदेह होगा।
4. परामर्शदाता को संस्थान के हित में कार्य करना चाहिए तथा पेशेवर निष्ठा के साथ कोई भी सलाह या सेवा प्रदान करनी चाहिए। परामर्शदाता के रूप में कार्य करते समय वे निष्ठा, पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धात्मकता, मितव्ययिता और दक्षता के उच्चतम मानकों को बनाए रखेंगे।
5. परामर्शदाता, समय-समय पर संशोधित शासकीय गोपनीयता अधिनियम, 1923 के अधीन होगा तथा किसी भी अनधिकृत व्यक्ति को कोई भी सूचना/डेटा नहीं बताएगा, जो नियुक्ति की अवधि के दौरान उसके संज्ञान में आए।
6. चूंकि यह पद पूर्णतः अस्थायी आधार पर है, इसलिए नियुक्त व्यक्ति को भविष्य निधि, अवकाश यात्रा रियायत, चिकित्सा आदि का कोई लाभ उपलब्ध नहीं होगा।
7. आयु सीमा और अनुभव आवेदन पत्र प्राप्त होने की तिथि के अनुसार माना जाएगा।
8. चयनित उम्मीदवार को सभी संस्थानिक मानदंडों का पालन करना अनिवार्य होगा। निर्धारित प्रावधानों का उल्लंघन अनुबंध की शर्तों और नियमों का उल्लंघन माना जाएगा और इसके परिणामस्वरूप दंडात्मक प्रावधान लागू किए जा सकते हैं, जिनमें अनुबंध की समाप्ति भी शामिल है।
9.
10. निदेशक, एनआईआरआरसीएच को बिना कोई कारण बताए किसी भी आवेदन को स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार है और इस मामले में किसी भी पत्राचार/सिफारिश पर विचार नहीं किया जाएगा।
11. गलत या झूठी जानकारी प्रस्तुत करने पर किसी भी स्तर पर उम्मीदवारी अयोग्य घोषित कर दी जाएगी।
12. चयन या रोजगार के लिए किसी भी रूप में पैरवी करना और बाहरी प्रभाव लाना अयोग्यता माना जाएगा और उम्मीदवार को चयन प्रक्रिया से वंचित कर दिया जाएगा।

13. बड़ी संख्या में आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में संस्थान आवेदनों की शॉर्टलिस्टिंग के लिए मानदंड अपनाने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
14. परामर्शदाता को कार्य प्रारंभ करने से पहले मान्यता प्राप्त चिकित्सक द्वारा जारी एक अच्छे स्वास्थ्य का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। आईसीएमआर-एनआईआरआरसीएच के कार्यों के निष्पादन के दौरान, अनुबंध की शर्तों के अंतर्गत, यदि परामर्शदाता की मृत्यु, चोट या बीमारी होती है—चाहे आईसीएमआर-एनआईआरआरसीएच के खर्च पर यात्रा के दौरान हो या अनुबंध के तहत किसी सेवा के प्रदर्शन के दौरान—तो परामर्शदाता या उनके आश्रितों को किसी भी प्रकार का मुआवजा प्राप्त नहीं होगा।
15. परामर्शदाता को परामर्श अनुबंध या उसके पुरस्कार के किसी भी पहलू पर आईसीएमआर-एनआईआरआरसीएच/परिषद/भारत सरकार द्वारा की जाने वाली जांच/भुगतान के बाद की ऑडिट में पूर्ण और समय पर सहयोग प्रदान करना होगा।
16. व्यक्तिगत परामर्शदाता को अपने अनुबंध संबंधी सभी दायित्वों को पूरा करने के लिए आवश्यक बीमा लेने और बनाए रखने की पूरी जिम्मेदारी स्वयं लेनी होगी। इसमें जीवन, स्वास्थ्य, और अन्य प्रकार के बीमा शामिल हैं, जिसे व्यक्तिगत परामर्शदाता उपयुक्त समझे। इस बीमा व्यवस्था का संपूर्ण खर्च परामर्शदाता स्वयं वहन करेगा, और आईसीएमआर-एनआईआरआरसीएच इस संबंध में कोई सहायता नहीं प्रदान करेगा।
17. संस्थान प्रतीक्षा सूची वाले उम्मीदवारों के लिए पैनल बनाने का अधिकार सुरक्षित रखता है जो एक वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा।
18. चयनित उम्मीदवारों को एनआईआरआरसीएच के साथ संविदा नियुक्ति के समझौते पर हस्ताक्षर करना होगा।
19. निदेशक बिना कोई कारण बताए भर्ती रद्द करने या पदों को पुनः विज्ञापित करने का अधिकार सुरक्षित रखते है; इस संबंध में आगे कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा।
20. योग्यता और अनुभव प्रासंगिक अनुशासन/क्षेत्र में होना चाहिए तथा संबंधित प्राधिकारी द्वारा मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठित संस्थान/संगठन से होना चाहिए।
21. केवल आवश्यक योग्यता/अनुभव पूरा करने से साक्षात्कार/चयन के लिए बुलाए जाने की गारंटी नहीं मिलती।
22. यह पद संविदात्मक है और नियुक्ति संतोषजनक प्रदर्शन और संस्थान की आवश्यकता के अधीन हर विशिष्ट अवधि के बाद नवीनीकृत की जा सकती है।
23. यह पद पूर्णतया अस्थायी और संविदा आधार पर भरा जाएगा तथा अभ्यर्थी को आईसीएमआर-एनआईआरआरसीएच के अंतर्गत किसी भी प्रकार के स्थायी रोजगार या किसी अन्य परियोजना में अपनी सेवाएं जारी रखने का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा।
24. उपरोक्त रिक्तियों के संबंध में कोई भी परिशिष्ट/शुद्धिपत्र, नोटिस वेबसाइटों पर जारी किया जाएगा https://main.icmr.nic.in/और http://www.nirrch.res.in/ केवल प्रेस में कोई अलग अधिसूचना

जारी नहीं की जाएगी। आवेदकों से अनुरोध है कि वे खुद को अपडेट रखने के लिए नियमित रूप से उपर्युक्त वेबसाइटों पर जाएँ।

25. चयन के बाद परामर्शदाता को नियुक्ति का प्रस्ताव दिया जाएगा और उसकी स्वीकृति मिलने तथा निर्धारित समय के भीतर कार्यभार ग्रहण करने पर परामर्शदाता और केन्द्र के प्रमुख के बीच 100 रुपए के 'गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर' पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से एक समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे।

26. समझौते की समाप्ति:

I. आईसीएमआर-एनआईआरआरसीएच किसी भी समय अनुबंध समाप्त कर सकता है यदि:
   क) परामर्शदाता निर्धारित समय के भीतर सौंपे गए कार्यों को पूरा करने में असमर्थ है।
   ख) सौंपे गए कार्यों की गुणवत्ता विभाग के संतोष के अनुरूप नहीं है।
   ग) परामर्शदाता विभाग द्वारा अंतिम रूप से तय किये गये लक्ष्यों को समय पर प्राप्त करने में विफल रहता है।
   घ) परामर्शदाता में ईमानदारी एवं निष्ठा का अभाव पाया गया।

II. यदि कोई परामर्शदाता इस्तीफा देने का इरादा रखता है, तो उसे संस्थान को एक महीने पहले सूचना देनी होगी।

27. ऑनलाइन आवेदन करने के लिए लिंक:-https://project.nirrch.res.in/

28. परामर्शदाता और नियोक्ता के बीच नियमों और शर्तों के संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद को निदेशक, आईसीएमआर-एनआईआरआरसीएच, मुंबई को भेजा जाएगा और उनका निर्णय दोनों पक्षों पर बाध्यकारी होगा।

ह0/-
निदेशक
आईसीएमआर-एनआईआरआरसीएच

आय. सी. एम. आर. - राष्ट्रीय प्रजनन एवं बाल स्वास्थ अनुसंधान संस्थान
ICMR-NATIONAL INSTITUTE FOR RESEARCH IN REPRODUCTIVE AND CHILD HEALTH
भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद
Indian Council of Medical Research
जे. एम. पथ, परेल, मुंबई - 400012
J.M. Street, Parel, Mumbai-400012

F. No: C-11015/111/2023-Admn 29.04.2025

VACANCY NOTIFICATION FOR CONSULTANT (OFFICIAL LANGUAGE) CONTRACTUAL POST

Applications are invited for filling up one post of Consultant (Official Language) at ICMR-NIRRCH, Mumbai on a purely contractual basis initially for period of One Year. The schedule for Interview and other terms and conditions have also been enumerated in succeeding paragraph.

Essential Qualifications:

Retired personnel from Central/ Central Autonomous bodies/CPSUs, having more than 10 years of experience in Rajbhasha (Hindi) related work in the Pay Level 7 as per 7th CPC or equivalent or above in Central/Central Autonomous bodies with one of the below educational qualifications.

Master's degree from a recognized University in Hindi with English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level.

or

Master's degree from a recognized University in English with Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level.

Desirable Criteria:

The applicant should have full knowledge of the provisions of Official Language Policy of Government of India and understanding of the rules and regulations, guidelines, systems and process and implementation thereof. The applicant should have good knowledge of translation, typing etc. and should also be familiar with the use of computers, internet, email etc.

Scope of Work/Job Responsibilities:

1. Ensuring compliance of "Official Language Policy of the Union of India.
2. Preparation of Quarterly Hindi Reports of the Institute.
3. Translation of Institute's Annual Report in Hindi.
4. Preparation report on inspection questionnaire of Parliamentary Committee on Official Language.

5. Translation of various forms, circulars, manuals, articles, etc. In Hindi and vice versa.
6. Preparation of official Letters/ office orders/Noting etc. In Hindi, in computer.
7. To assist the Institute's Hindi Committee for various activities related to Hindi implementation.
8. To assist Officer-in-charge, Official Language in the implementation of work of official language policy and in various official matters.
9. Arrangement of Hindi Training Programs/Workshops. Also to convey, and facilitate implementation and recommendations of NARAKAS to the Institute.
10. Any other work assigned by the Competent Authority, assigned from time to time.

Age: Not exceeding 69 years on the last date of receiving the application.

Period of Engagement:

1. The initial engagement as Consultant would be for a period of **1 year** which may be extended beyond the said period depending upon the requirement of NIRRCH and performance review of the consultant but shall not be extended beyond 5 years after superannuation.
2. The engagement of Consultants would be on a full-time basis and they would not be permitted to take up any other assignment during the period of engagement with the Institute.

Remuneration Payable to Consultants:

The monthly remuneration will be released to the Consultant, based on an explicit certificate from the Head of Institute on the satisfactory performance and attendance. Remuneration will be as follows:

- **For Retired employees from Central Govt. /Central Autonomous Bodies:**
  1. The consultant shall be paid a fixed consolidated monthly remuneration arrived at by deducting the pension from the pay drawn at the time of retirement in terms of Ministry of Finance, Dept of Expenditure OM F.No. 3-25/2020-E.IIIA dated 09.12.2020. In case of employees who retired under National Pension System (NPS), their remuneration will be governed as per Dept. of Expenditure OM No. 3-25/2020-E.III(A)/Pt. dt. 18.10.2023. It is kindly noted that no increment and Dearness Allowance shall be allowed during the term of the contract.
  2. A fixed amount as Transport Allowance to commute between the residence and the place of work shall be paid of an amount not exceeding the rate applicable to the appointee at the time of retirement. The amount so fixed shall remain unchanged during the term of appointment. The entitlement of

transport allowance will be as per DoE's OM No. 21/5/2017-E.II(B) dated 07.07.2017. However, no Dearness Allowance shall be admissible on the Transportation Allowance.

- **For Retired employees from CPSUs/CPSBs:**

  The consultant shall be paid maximum Rs. 1,00,000/- depending upon experience and knowledge.

  Note:

  1. No Travelling Allowance/Daily Allowance shall be admissible for joining the assignment or on its completion.
  2. Since the post is purely on temporary/contractual basis, so benefit of Accommodation, CGHS, Provident Fund, Leave Travel Concession, telephone reimbursement, Medical, etc. will not be available to the appointee.
  3. All applicable taxes as per government rules and regulations will be deducted at the source.

Attendance and working hour /day:

The working hours for the consultants will be same as regular employees of ICMR-NIRRCH. No extra benefit will be allowed for working beyond office hours. Unauthorized absence for a continuous period of 08 days without valid reasons shall lead to automatic termination of the engagement.

Leave:

Paid leave of absence will be allowed at the rate of 1.5 days for each completed month of service. Unavailed leave during the period of engagement will not be carried forward in case of renewal of contract.

Working Hours:

The Consultants shall have to work as per the working hours of ICMR-NIRRCH, Mumbai. However, depending on the exigency of work, one may be required to come early or sit late to complete the time-bound work or attend the office on holidays. No extra remuneration or fee would be payable if work requires late sitting or coming on holiday.

PROCEDURE FOR RECRUITMENT:

1. Candidates meeting the age criteria and possessing the required qualifications, experience, etc. can apply online upto **05:00 PM on** 20.05.2025.

2. Link for applying online application: - https://project.nirrch.res.in/
3. For Consultant (Official Language), selection shall be based on the basis of Personal Interview of candidates having requisite experience. **Venue and Schedule of Interview will be informed only to shortlisted candidates through e-mail.**
4. Shortlisted candidates have to submit the duly self-attested copies of proof of their age, educational qualifications, experience certificate, testimonials, PPO etc. at the time of Interview. Also original certificates may be presented
5. Selected candidates have to bring all the documents as mentioned above in Original while joining.
6. Selection will be based only on the performance in the Interview.

OTHER TERMS AND CONDITIONS FOR APPLICATIONS ARE GIVEN HEREUNDER:

1. Incomplete applications shall be summarily rejected.
2. Submission of incorrect or false information shall disqualify the candidature at any stage.
3. The consultant shall be completely accountable for any advice/service rendered by him during his engagement in this Institute in view of the norms of ethical business and professionalism.
4. The Consultant must act in the interest of the Institute and render any advice or service with professional integrity. They will maintain highest standards of integrity, transparency, competitiveness, economy and efficiency while working as Consultant.
5. The consultant will be governed by the Official Secrets Act 1923 and as amended from time to time and will not disclose to any unauthorized person (s) any information/data that may come to their notice during the period of their engagement.
6. Since the post is purely on a temporary basis, no benefit of Provident Fund, Leave Travel Concession, Medical, etc. will be available to the appointee.
7. Age limit and experience will be considered as on the date of receipt of the Application Form.
8. The selected candidate shall follow all the Institutional norms. Violation of the prescribed provisions will entail breach of the terms and conditions of contract and would attract penal provisions, including termination of contract.
9. The Director, NIRRCH has the right to accept/ reject any application without assigning any reason thereof and no correspondence/recommendation will be entertained in this matter.
10. Submission of incorrect or false information shall disqualify the candidature at any stage.

11. Canvassing and bringing outside influence in any form for shortlisting or employment will be treated as disqualification and the candidate will be debarred from the selection process.
12. The Institute reserves the right to adopt criteria for shortlisting the applications in case of receipt of large number of applications.
13. The Institute reserves the right to frame a panel for waitlisted candidates which will be valid for a period of one year.
14. Consultant should submit a Statement of Good Health from a recognized physician, prior to commencement of work, in ICMR-NIRRCH. In the event of the death, injury or illness of the Consultant, which is attributable to the performance of services on behalf of ICMR-NIRRCH, under the terms of the Contract, while the Consultant is traveling on tour of ICMR-NIRRCH expense or is performing any services under the Contract in ICMR-NIRRCH, the Consultant or his/her dependents, as appropriate, shall not be entitled to any compensation.
15. Consultant should have to provide full and timely cooperation with investigations / post payment audits, which the ICMR-NIRRCH/Council/ GoI may conduct, on any aspect of the consultancy contract or award thereof.
16. The individual Consultant should be solely responsible for taking out and for maintaining adequate insurance, required to meet any of his/her obligations under the contract, as well as for arranging, at his/her own expense, such as life, health and other forms of insurance, as the individual Consultant may consider appropriate, to cover the period during which they are engaged.
17. The Director reserves the right to cancel the recruitment or re-advertise the post, without assigning any reasons thereof; no further correspondence will be entertained in this regard.
18. Qualification and experience should be in a relevant discipline/field and from a reputed institution/organization recognized by the relevant authority.
19. Mere fulfilling the essential qualification/experience does not guarantee to be called for interview/selection.
20. The post is contractual and the appointment may be renewed after every specific period of time subject to satisfactory performance and Institutes requirement.
21. The post is filled-up on a purely temporary basis and contractual basis & the candidate will have no right to claim for any type of Permanent Employment under ICMR-NIRRCH or continuation of his/her services in any other project.
22. Any Addendum/Corrigendum in respect of above vacancies, notice shall be issued on websites https://main.icmr.nic.in/ and http://www.nirrch.res.in/ only and no separate notification shall be issued in the press. Applicants are requested to regularly visit the above mentioned websites to keep themselves updated.

23. After selection, consultant will be given an offer of engagement and on receipt of his/her acceptance and upon joining within prescribed time, an agreement will be signed between Consultant and the Head of the Institute on 'Non-Judicial Stamp Paper' of Rs. 100/- with effect from the date of assumption of assignment.
24. **Termination of Agreement:**
    I. ICMR-NIRRCH may terminate a contract anytime if:
        a) The Consultant is unable to address the assigned works within the stipulated time.
        b) Quality of the assigned works is not to the satisfaction of the Department.
        c) The Consultant fails in the timely achievement of the milestones as finally decided by the Department.
        d) The Consultant is found lacking in honesty and integrity.
    II. In the event that a Consultant intends to resign, it is required to provide one month's prior notice to the Institute.
25. Link for applying online application: - https://project.nirrch.res.in/
26. Any disputes that may arise between Consultant and the Employer as to the terms and conditions shall be referred to the Director, ICMR-NIRRCH, Mumbai and her decision will be binding on both the parties.

Sd/-
Director
ICMR-NIRRCH